न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी – जगदीश आर्य

अपील संख्या 85/20 तारीख रजू 03.09.2020

1. जगदीश पुत्र मदन वैष्णव निवासी सोनकच्छ तहसील खण्डार
2. काडी उर्फ विमला पुत्री राधेश्याम वैष्णव निवासी सोनकच्छ तहसील खण्डार

..... अपीलार्थीगण

1. जगमोहन पुत्र किशन्या बैरवा निवासी सोनकच्छ तहसील खण्डार
2. जानकी पत्नि किशन्या बैरवा निवासी सोनकच्छ तहसील खण्डार
3. पार्वती पुत्री किशन्या बैरवा निवासी सोनकच्छ तहसील खण्डार
4. घीस्या पुत्र देवपाल गुर्जर निवासी सोनकच्छ तहसील खण्डार
5. शम्भू पुत्र घीस्या गुर्जर निवासी सोनकच्छ तहसील खण्डार
6. मांग्या पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी सोनकच्छ तहसील खण्डार
7. तहसीलदार खण्डार जिला सवाई माधोपुर

..... रेस्पोडेन्टस्

:निर्णय :: दिनांकः 21.05.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.18 की पालना में की गई तरमीम दिनांक 05.09.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा ग्राम सोनकच्छ की आराजी खसरा नम्बर 486/1, 480/3 व 479 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा की तरमीम नक्शे में पटवारी हल्का खण्डेवला द्वारा दिनांक 05.09.2018 को की गयी है, को अपीलार्थीगण ने राजस्व अभिलेख व मौके की स्थिति के अनुरूप न होने से इस तरमीम को निरस्त कर आवंटन के समय की मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम करने बाबत निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये नोटिस की गयी तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 जरिये वकील उपस्थित आए। बार–बार आवाज लगाने के बावजूद भी रेस्पोडेन्टस संख्या 4 लगायत 6 उपस्थित नहीं हुए और वकील रेस्पोडेन्टस संख्या 4 लगायत 6 भी उपस्थित नहीं हुए। अतः रेस्पोडेन्टस 4 लगायत 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने प्रस्तुत अपील दिनांक 31.08.20 एवं संशोधित अपील दिनांक 06.04.21 में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अदालत मातेहत का आदेश अपीलार्थी को बिना सुने बिना नोटिस जारी किये किया गया है जो खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने बहस में यह भी तर्क दिया कि उक्त आदेश उनवानी प्रकरण किशन्या बनाम घीस्या के 183बी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

मुकदमें में दिया गया है जिसमें अपीलार्थीगण उक्त आदेश के दिन पक्षकार नहीं थे एवं अन्य खातेदार पून्या, काना आदि भी पक्षकार नहीं थे, इसलिये अपीलार्थीगण के अनुपस्थिति में मनचाहे तरीके से किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने बहस में यह भी तर्क दिया कि आराजी खसरा नम्बर 486 कुल 10 बीघा 15 बिस्वा का रकबा है जिसमें 14 बिस्वा का सन् 1973 से अपीलार्थी संख्या 2 का पिता खातेदार था जिसको पटवारी हल्का द्वारा सन् 1973 में खसरा नम्बर 478 व 486/1 के बीच में कब्जा दिया था। इसी प्रकार खसरा नम्बर 480/2 भी खसरा नम्बर 486/6 के पास ही था जो 18 बिस्वा है जिसको राधेश्याम ने अपने जीवन काल में काश्त किया लेकिन राधेश्याम के कोई पुत्र संतान नहीं होने से काडी वगैरा के अपीलार्थी के भाई होने से अपीलार्थी नं0 1 ही काश्त वर्षों से करते आ रहे हैं। विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने बहस में यह भी तर्क दिया कि यदि एक खसरा नम्बर में कई खातेदार है तथा उस नम्बर की तरमीम नहीं है तो मौके पर कब्जा के अनुसार तरमीम करने का प्रावधान है उपरोक्त प्रकरण में खसरा नम्बर 486/1 के उत्तर की ओर व खसरा नम्बर 478 के बीच 486/6 पर राधेश्याम का कब्जा 1973 से चला आ रहा है इसी प्रकार 486/1 के बगल में 480/2 पर कब्जा है लेकिन अदालत मातेहत कब्जे के स्थान पर तरमीम नहीं कर अन्य जगह पर तरमीम कर दी है जो तरमीम नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने बहस में यह भी तर्क दिया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट 26.12.2017 के अनुसार भी अपीलार्थीगण का कब्जा खसरा नम्बर 478 व 486/1 के बीच में बतलाया है उक्त साक्ष्य को न मानकर आदेश व नक्शा तरमीम किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने बहस में यह भी तर्क दिया कि उक्त आदेश का ज्ञान दिनांक 11.06.20 को पटवारी हल्का से हुआ जब तहसील से नोटिस पहुंचा तब नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो उसी दिन मिल गया लेकिन लोक डाउन होने के कारण वकीलो ने अपील पेश करने से मना कर देने पर व राजस्व मण्डल के निर्देश से 01.09.20 से कोर्ट कार्य विधिवत रूप से किया जावे इसलिये अपील भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.09.2018 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलार्थी ने अपील के साथ तरमीम दिनांक 05.09.18, नकल रिपोर्ट मौका 5.9.18, नकल कब्जा रिपोर्ट दिनांक 21.06.79, नकल तीताम्बा रिपोर्ट मौका दिनांक 26.12.17, नकल नक्शा 17.01.18 आदि प्रस्तुत की है।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 ने बहस में तर्क दिया कि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी खसरा नम्बर 480/3, रकबा 0.15 बिस्वा, 486/1 रकबा 5.00 बीघा, 381 रकबा 0.12 बिस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 0.16 बिस्वा कुल किता–4 कुल रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम सोनकच्छ में स्थित है। जिस पर रेस्पोडेन्टस संख्या 4 लगायत 6 ने दिनांक 20.06.2014 को ट्रेक्टर चलाकर खेत की मेड तोड कर अपने खेतो में मिला लिया। जिसके संबंध में न्यायालय तहसीलदार खण्डार के समक्ष प्रकरण पेश करने पर उक्त प्रकरण के संबंध में दिनांक 26.09.17 को पटवारी हल्का खण्डेवला के द्वारा जांच रिपोर्ट में बताया गया कि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी खसरा नम्बर 480/3 रकबा 0.15 बिस्वा एवं 479 रकबा 0.16 पर

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 का कब्जाकाश्त है तथा लगभग 4.00 बीघा भूमि पर भी रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 का ही कब्जा है। खसरा नम्बर 486 में 6 उपखसरे बटा नम्बर बने हुए है जिनकी नक्शे में तरमीम नहीं होने से यह पता नहीं चल पाता है कि शेष भूमि किसे पास दबी हुई है जिसका पता जमीन की नाप कर नक्शे में तरमीम होकर पता चल सकेगा। दिनांक 05.09.18 को पटवारी हल्का खण्डेवला ने खसरा नम्बर 486/1, 480/3 व 479 की तरमीम न्यायालय में पेश की लेकिन अतिक्रमण के संबंध में कोई रिपोर्ट पेश नहीं करने पर तहसीलदार खण्डार के आदेश दिनांक 27.05.20 के द्वारा सीमाज्ञान के लिए टीम गठित की गई। उक्त टीम द्वारा दिनांक 04.06.20 को सीमाज्ञान करने पर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 की खसरा नम्बर 486/1 रकबा 5.00 बीघा भूमि में से 2.00 बीघा भूमि उत्तर की तरफ अपीलार्थी का अतिक्रमी के रूप में कब्जा पाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.07.20 को अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर शास्ति अधिरोपित कर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 की उक्त 02.00 बीघा भूमि से बेदखल किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी खसरा नं0 480/3, रकबा 0.15 बिस्वा, 486/1 रकबा 5.00 बीघा, 381 रकबा 0.12 बिस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 0.16 बिस्वा कुल किता–4 कुल रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम सोनकच्छ तहसील खण्डार स्थित है। जिस पर रेस्पोडेन्टस संख्या 4 लगायत 6 ने दिनांक 20.06.2014 को ट्रेक्टर चलाकर खेत की मेड तोड कर अपने खेतो में मिला लिया। जिसके संबंध में न्यायालय तहसीलदार खण्डार के समक्ष प्रकरण पेश करने पर उक्त प्रकरण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट दिनांक 26.09.17 के अनुसार रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी 480/3 रकबा 0.15 बिस्वा एवं 479 रकबा 0.16 बिस्वा पर स्वयं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 का ही कब्जा है तथा खसरा नम्बर 486 में 6 उपखसरे बटा नम्बर बने हुए है जिनकी नक्शे में तरमीम नहीं होने से शेष भूमि किसे पास दबी हुई है का पता नहीं चल पाया। जिसकी दिनांक 05.09.18 को पटवारी हल्का खण्डेवला द्वारा खसरा नम्बर 486/1, 480/3 व 479 की तरमीम कर तहसीलदार खण्डार के समक्ष रिपोर्ट पेश की गई किन्तु अतिक्रमी चिन्हित नहीं किया गया। अतिक्रमण के संबंध में कोई रिपोर्ट पेश नहीं करने पर तहसीलदार खण्डार के आदेश दिनांक 27.05.20 के द्वारा सीमाज्ञान के लिए टीम गठित की गई। उक्त टीम द्वारा दिनांक 04.06.20 को सीमाज्ञान करने पर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 की खसरा नम्बर 486/1 रकबा 5.00 बीघा भूमि में से 2.00 बीघा भूमि उत्तर की तरफ अपीलार्थी का अतिक्रमी के रूप में कब्जा पाया गया।

प्रकरण में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 ने तहसीलदार खण्डार के समक्ष दिनांक 08.07.14 को स्वयं की खातेदारी खसरा नं0 480/3, रकबा 0.15 बिस्वा, 486/1 रकबा 5.00 बीघा, 381 रकबा 0.12 बिस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 0.16 बिस्वा कुल किता–4 कुल रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम सोनकच्छ पर रेस्पोडेन्टस संख्या 4 लगायत 6 ने दिनांक 20.06.2014 को ट्रेक्टर चलाकर खेत की मेड तोड कर अपने खेतो में मिलाने के संबंध में रेस्पोडेन्टस संख्या 4 लगायत 6 के विरूद्ध राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183(बी) के तहत परिवाद पेश किया था। पटवारी हल्का

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

खण्डेवला की रिपोर्ट दिनांक 26.12.17 के अनुसार ख0नं0 486 पर काडी राजो सुनीता विध्या ममता पुत्री राधेश्याम बाबाजी का 6 बिस्वा पर, हजारीलाल पुत्र देवीलाल हि0 1/2 रामसिंह, शम्भूसिंह पि0 हजारीलाल गुर्जर हि0 1/2 का 2 बीघा 16 बिस्वा पर, पून्या पुत्र बजरंगा माली का 6 बिस्वा पर तथा काना पुत्र भागीरथ गुर्जर का 10 बिस्वा पर अतिक्रमी के रूप में कब्जा पाया गया। जबकि तहसीलदार खण्डार के आदेश दिनांक 16.07.18 की पालना में पटवारी हल्का खण्डेवला द्वारा की गई तरमीम दिनांक 05.09.18 में कोई अतिक्रमी चिन्हित नहीं करने पर तहसीलदार खण्डार के आदेश दिनांक 27.05.20 के द्वारा सीमाज्ञान के लिए गठित टीम द्वारा दिनांक 04.06.20 को किये गये सीमाज्ञान में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 की खसरा नम्बर 486/1 रकबा 5.00 बीघा भूमि में से 2.00 बीघा भूमि उत्तर की तरफ केवल अपीलार्थी का अतिक्रमी के रूप में कब्जा पाया गया। किन्तु पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 26.12.17 के अनुसार पाये गये शेष अतिक्रमी हजारीलाल पुत्र देवीलाल हि0 1/2, रामसिंह, शम्भूसिंह पि0 हजारीलाल गुर्जर हि0 1/2 का 2 बीघा 16 बिस्वा पर, पून्या पुत्र बजरंगा माली का 6 बिस्वा पर तथा काना पुत्र भागीरथ गुर्जर का 10 बिस्वा पर किये गये अवैध कब्जे के बारे में तहसीलदार खण्डार द्वारा कोई आदेश दिया गया हो ऐसा कोई तथ्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। पटवारी हल्का खण्डेवला की रिपोर्ट दिनांक 26.12.17 में अपीलार्थी को "A" पर काबिज दिखाया गया है जबकि पटवारी हल्का खण्डेवला की रिपोर्ट दिनांक 05.09.18 में अपीलार्थी को पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 26.12.17 में दर्शाये गये बिन्दु "C" पर काबिज दर्शाया गया है। इस प्रकार पटवारी हल्का खण्डेवला की रिपोर्ट दिनांक 26.12.17 व 05.09.18 परस्पर विरोधाभासी प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार खण्डार के आदेश दिनांक 16.07.18 की पालना में 05.09.18 को हल्का पटवारी खण्डेवला द्वारा ग्राम सोनकच्छ की आराजी खसरा नं0 486/1, 480/3 व 479 की वर्तमान जगह पर की गई वर्तमान तरमीम पटवारी हल्का की दोनो रिपोर्ट 26.12.17 व 05.09.18 विरोधीभाषी होने के कारण विधि विपरीत एवं साक्ष्याभाव में मौका स्थिति के अनुरूप नहीं होने से निरस्त की जाती है। तहसीलदार खण्डार प्रकरण की सम्पूर्ण स्थिति की जांच सुदृढ, सुस्पष्ट अभिलेखनीय व मौखिक साक्ष्य के आधार पर सम्यक व समग्र रूप से करने के उपरान्त विधिक रीति के अनुरूप उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर तरमीम करने की कार्यवाही मजमे आम में नये सिरे से करावें।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर